	न्यायिक कार्य स्थगन/बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक 13/10/23 को पेश हो।
13.10.23	पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन/बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक 31/10/23 को पेश हो।
31.10.23	उभय पक्ष उपस्थित। पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है। / अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 19.12.23 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी, माण्डल
19.12.23	उभय पक्ष उपस्थित। पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है। / अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 9.1.24 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी, माण्डल
9.1.24	पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष उपस्थित, वकील विपक्षी सं. 1 व 4 को जवाब हेतु कई अवसर दिये जा चुके हैं अभी तक जवाब प्रस्तुत नहीं किया। अतः विपक्षी संख्या 1,4 का जवाब बंद किया जाता है। उभयपक्षों ने बहस करनी चाही। बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी का प्रा० पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा

राजस्थान –सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–हुकमीचन्द रोहलानिया, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या – 162/22 प्रा०पत्र

1– श्री रामलाल S/o श्री मांगीलाल अचारत निवासी बागोर तहसील माण्डल

–प्रार्थी

बनाम

1– श्री नाथू S/o श्री नन्दा अचारत निवासी-बागोर तहसील-माण्डल (वगैरा)
(हस्तांकित प्रा.पत्र संलग्न)

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि 1956

दिनांक:– 09.01.24

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम.........बागोर...........पटवार हल्का.....बागोर II.........तहसील भाण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी न0 5181/1, 5187/1, 5189/1, 5194/1 कुल किता.........04...........रकबा 0.5816.........हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है।जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 20.06.22..........को पंजीबद्व किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्व है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम.....बागोर.....पटवार हल्का.........बागोर II.......तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी न. 5181/1, 5187/1, 5189/1, 5194/1 कुल किता...............0 4...............रकबा 0.5816........हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक....बागोर को.........500/- रूपये/– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजुदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल माण्डल भीलवाड़ा

प्रतिलिपिः– तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल माण्डल भीलवाड़ा